UDAIPUR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
(Apex body of Trade, Industry, Mining, Education & Tourism of Southern Rajasthan)
UCCI/Newsletter/2020-21/September/1 | 04 September 2020 | E-News Letter

राजस्थान सरकार से बिजली की दरों में कटौति तथा स्थाई शुल्क में कमी का आव्हान यूसीसीआई तथा सदस्य संस्थाओं ने दिया ज्ञापन

जैसा कि ज्ञात है कि विगत चार–पांच माह में कोरोना के कारण लॉकडाउन के चलते औद्योगिक इकाईयों एवं व्यापारिक संस्थानों में उत्पादन तथा व्यावसायिक कार्य बहुत ही कम हुआ है। कोई भी व्यवसाय अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता से नहीं चल पा रहा है। ऐसे में बिजली की खपत भी कम हुई है। सरकार से हमारी यह आशा है कि राजस्थान के उद्योगों एवं व्यवसायों को कोरोनाकाल में बिजली के बिल में दूसरे राज्यों की तर्ज पर राहत दी जाए।

यूसीसीआई के अध्यक्ष श्री रमेश कुमार सिंघवी ने बताया कि यद्यपि राज्य सरकार ने मार्च एवं अप्रैल माह के विद्युत बिलों में स्थाई शुल्क को तीन माह के लिए स्थगित करते हुए आगे बढा दिया था। किन्तु इस शुल्क को पूर्णतः माफ कर देने अथवा इसमें छूट दिए जाने के यूसीसीआई के प्रस्ताव को सरकार ने नहीं माना है। जुलाई माह से बिल में यह शुल्क जोडकर अब उपभोक्ताओं से वसूल किया जा रहा है। इस कारण से बढी हुई राशि के बिजली के बिल चुकाने में व्यवसायियों को काफी दिक्कत आ रही है तथा उन पर आर्थिक बोझ का संकट और बढ गया है।

गौरतलब है कि यूसीसीआई के अध्यक्ष श्री रमेश कुमार सिंघवी ने यह मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के साथ विडियो कॉन्फ्रेन्स के दौरान रखा था। इस विषय पर यूसीसीआई की ओर से माननीय मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) तथा अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निद'kक को एक विस्तृत ज्ञापन भेजा गया था जिसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब आदि राज्यों में वहां की सरकारों द्वारा विद्युत तथा स्थाई शुल्क पर दी गई छूट का हवाला देते हुए राज्य सरकार से यह मांग की गई कि वे सभी डिसकॉम को स्थाई शुल्क माफ करने अथवा कम करने की अनुमति देवें। ज्ञात हो कि गुजरात, उडिसा, तेलंगाना तथा झारखण्ड की हाई कोर्ट ने भी इन राज्यों के विद्युत वितरण निगमों को यह आदेश दिए हैं कि वे राज्य के उद्यमियों को विद्युत शुल्क में छूट देवें।

किन्तु राजस्थान में बजाय छूट देने के अजमेर, जयपुर एवं जोधपुर डिसकॉम ने उपभोक्ताओं से तीस पैसे स्पेशल फ्यूल सरचार्ज की वसूली के आद'k दे दिए।

यूसीसीआई के अध्यक्ष श्री रमेश कुमार सिंघवी ने बताया कि उद्योगों की ओर से किए गए प्रयासों के चलते सरकार ने डिसकॉम को इस आदेश को वापस लेने को कहा जिसके चलते अब यह स्पेशल फ्यूल सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा। परन्तु उद्योगों को विद्युत स्थाई शुल्क में छूट दिए जाने का मुद्दा अभी भी जस का तस लम्बित ही है।

उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के सदस्यों तथा सदस्य संगठनों द्वारा इस विषय पर विरोध जताया है तथा आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है।

यूसीसीआई के मानद महासचिव श्री प्रतीक हिंगड ने बताया कि सरकार विद्युत स्थाई शुल्क में छूट देने मांग नहीं मान रही है। ऐसे में उद्योग एवं व्यावसायिक संगठनों के पास केवल कानूनी रास्ता ही शेष रह जाता है।

ज्ञात हो कि हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के डिसकॉम को बाध्य किया है कि वे उपभोक्ताओं के लिए लॉकडाउन अवधि में हुई बिजली की खपत पर स्थाई शुल्क माफ करें। हाई कोर्ट ने माना है कि लॉकडाउन अवधि के लिए अधिक डिमाण्ड चार्ज लगाना गैर कानूनी है तथा इस निर्णय को आधार मानते हुए राजस्थान के उद्यमी भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

यूसीसीआई के अध्यक्ष श्री रमेश कुमार सिंघवी ने बताया कि यूसीसीआई इन विकल्पों पर विचार कर रही है तथा शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

दैनिक भास्कर

बिजली के बिल दे रहे झटके • उद्योग-कारखानों को भी राहत नहीं, लॉकडाउन से चरमराने के बावजूद 31 फीसदी तक फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी

लॉकडाउन में महंगी की बिजली, अनलॉक में बिलों में आ रहा करंट

सिटी रिपोर्टर | उदयपुर

लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां चली गई, जबकि बिजली की दरें 1 फरवरी से बढ़ने के बाद मार्च से बढ़े हुए बिल अनलॉक में मिल रहे हैं और शहरवासी परेशान हैं। फारूक आजम कॉलोनी निवासी उपभोक्ता सुलेमान खान की बेटी अंजुम बानो बताती है कि लॉकडाउन में नौकरी चली गई और बिल 7 हजार 135 का आया। घर में अकेली कमाने वाली महिला के लिए इसे पाना नाकाफी था। चौंकाने वाली बात यह है कि एक मिनट के भीतर ही मीटर कई रीडिंग दिखाता है। जब भास्कर ने जायजा लिया तो कभी 25 हजार तो कभी 40 हजार रीडिंग आई। तो कभी मीटर ही बंद हुआ। यह भी सामने आया कि मीटर रीडर के आने की कोई जानकारी नहीं है, बिल तो औसत बनकर भी आया।

संयुक्त परिवार में रहने वाले मल्लातलाई के आरिफ पर बिजली बिल की मार ऐसी पड़ी कि लॉकडाउन से पहले उनके हिस्से में जो 1500 तक का बिल आता था, अब 16 हजार का मिला है। नौकरी तो कोराना और लॉकडाउन के कारण गई, अब चार महीनों का एकसाथ आया बिल तगड़ा झटका दे रहा है। बिल चुकाने के लिए कुछ जेवर बेचे। तब भी पूरा नहीं हुआ, तो सगे-संबंधियों से मदद ली। लेकिन अगला बिल 13 हजार का फिर थमा दिया गया। इस बार स्मार्ट फोन बेचना पड़ा। बिल देरी से भुगतान करने से पैनल्टी सहित करीब अब भी 7 हजार रुपए बाकी हैं। उपभोक्ता का कहना है कि नहीं चुकाए तो कनेक्शन कट जाने का डर सताता रहता है।

ये उदाहरण भले ही शहर के दो घरों के हैं, लेकिन 5 लाख 52 हजार 279 उपभोक्ताओं में से अधिकतर उपभोक्ता बिजली बिलों को लेकर इसी तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन से लेकर अब तक के इन तीन महीनों में बिजली बिल कई गुना तक बढ़ गए हैं। लोग बिजली कंपनी के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जवाब मिल रहा है कि अभी जमा कर दीजिए, बाद में एडजस्ट कर देंगे।

ऐसे हुई बिलिंग

अप्रैल में मार्च की रीडिंग के आधार पर खपत के बिल दिए, मई में पिछले साल यानी मई 2019 में हुई खपत के बिल दिए। लॉकडाउन के कारण अप्रैल-मई में रीडिंग नहीं हुई। जून में वास्तविक रीडिंग के बिल मिले। इनमें चार महीनों का बिल थमा दिया गया।

उपभोक्ताओं की जुबानी

केस 1 : भगवती लाल पुरोहित

पता	सुंदरवास
समस्या	मीटर बंद, बिल बदस्तूर

• *सितंबर में 8151 और जुलाई में 6172 रुपए का बिल आया। अधिकतम 5 हजार रुपए तक का बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ता की परेशानी यह है कि जब मीटर मार्च से ही बंद है तो उपभोग किस आधार पर दर्ज कर रहे। मार्च में ठीक करने के लिए आवेदन भी दिया। मई में फिर अर्जी दी, मीटर ठीक नहीं हुआ, बस बिल आता है।*

केस 2 : वरदी गावरी

पता	सुंदरवास
समस्या	मीटर ठीक करने के वसूले 9 हजार

• *मार्च-जून महीने में 8500, इससे पहले जुलाई-अगस्त महीने में 16 हजार 500 तक का बिल आया। दफ्तर के चक्कर काटने के बाद बताया गया कि बिल में चार्ज 9 हजार 100 वसूला गया। जनवरी में मीटर ठीक हुआ, तो मीटर ठीक करने के लिए निगम का कर्मचारी भी आया और ठीक कर गया। तब यह चार्ज की बात नहीं बताई गई थी। जबकि नियम तो यह है कि मीटर खराब होने पर टेक्निकल ऑडिट होती है, इसके बाद नोटिस देकर भुगतान लिया जाता है।*

केस 3 : जरीना बेगम

पता	सवीना
समस्या	उपभोग नहीं, बिल 20 हजार पार

• *अगस्त का बिल 21, 915 का देखकर ये दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। उनका कहना घर में सिर्फ 4 पाइंट वाले छोटे से घर में इतना बिल क्यों आ रहा है।*

ऐसे गड़बड़ाया बिलों का गणित : न केवल यूनिट दरें और स्थायी शुल्क में भी वृद्ध की। यही नहीं, अधिकतम 500 से अधिक यूनिट पर निर्धारित 400 रुपए स्थायी शुल्क के बावजूद 1600 रुपए तक स्थायी शुल्क बिल में है। वहीं नगरीय उपकर, बकाया राशि का समायोजन ठीक से ना होने को लेकर भी शिकायतें हैं। उपभोक्ताओं का यहां तक का कहना है कि वर्षों से लिया जा रहा स्थायी शुल्क प्रति यूनिट अलग-अलग होने से भी बोझ पड़ रहा है। लॉकडाउन में जब सरकार से आस थी तो स्थायी शुल्क जैसे टैक्स कम करने की बजाय पर अतिरिक्त बोझ लाद दिया गया।

प्रति यूनिट दरें

स्लैब	पुरानी दर	नई दर	इजाफा
50 यूनिट तक	3.85	4.75	23 फीसदी
51 से 150 यूनिट	6.10	6.50	6.5 फीसदी
151-300 यूनिट	6.40	7.35	14.8 फीसदी
301-500	6.70	7.65	14.1 फीसदी
500 से अधिक	7.15	7.95	10.6 फीसदी

प्रति यूनिट स्थायी शुल्क

स्लैब	पुरानी दर	नई दर	इजाफा
50 यूनिट	100	230	130 फीसदी
51 से 150 यूनिट	200	230	15 फीसदी
151-300 यूनिट	220	230	4.5 फीसदी
301-500	265	345	30 फीसदी
500 से अधिक	265	400	33.75 फीसदी

समस्याओं पर जवाब- रेगुलेटरी कमीशन ने बढ़ाई दरें, बिजली खरीद के भुगतान के लिए उपभोक्ता से ही तो करेंगे वसूली

जनता की अपेक्षा के उलट बोझ बढ़ा रही सरकार

सरकार की संवेदनहीनता के चलते बिलों में औसतन 15 फीसदी का इजाफा हो गया। इससे लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा। लॉकडाउन में उपभोक्ता की अपेक्षा बिल माफी की थी, इसके बजाय दरें बढ़ा दी गई। सरकार को बिल माफ करने के साथ ही बढ़ी दरें वापस लेनी चाहिए। इसके अलावा समस्या बिलों में भुगतान होने के बाद भी बकाया राशि जोड़े जाने और पूर्ण राशि को समायोजित नहीं करने को लेकर है। उपभोक्ता इसे लेकर आशंकित है, विभाग को इसका समाधान भी करना होगा।

-चंद्रदेव ओला, जिला सचिव, भाकपा-माले

कारोबारी भी त्रस्त : उद्योगों के बुरे दौर में होने के बावजूद लाद दिया 31 फीसदी अतिरिक्त बोझ

लघु-मध्यम उद्योग के लिए गठित कमिटी में राज्य सरकार प्रतिनिधि हंसराज चौधरी का कहना है कि पहले ही उत्पादन पर बुरी तरह से मार पड़ी है। अब मुश्किल से 50-60 फीसदी तक आया। इसमें एनर्जी खर्च 10 फीसदी तक अमूमन रहता है। बावजूद इसके सरकार ने प्रति केवी फिक्स चार्ज 185 से बढ़ाकर 270 रूपए कर दिया। जिससे काफी अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इसके लिए केंद्र सरकार भी कोविड फंड से राज्य सरकार को मदद करें, ताकि सामंजस्य से हल हो सके।

खर्च कहां से पूरे करेंगे, सरकार से तो नहीं ले सकते

किसान से लेकर कारोबारी तक को 24 घंटे लगातार बिजली दे रहे हैं। अब जब दरें बढ़ाई गई तो हम उपभोक्ता को कैंप लगाकर भी समझा रहे हैं। रेगुलेटरी कमीशन के आदेश से दरें बढ़ाई हैं। ऐसे में बोर्ड बिजली खरीद का पेमेंट करने के लिए उपभोक्ता से ही तो वसूली करेगा। सरकार से तो ले नहीं सकते, हमें तो अपना पेमेंट ऐसे ही करना होता है। हर साल हमारा 6 से 10 फीसदी पेमेंट बढ़ोतरी करनी होती है। इस साल अगस्त में 1100 करोड़ के बिल में भुगतान 850 करोड़ का हुआ, जबकि मार्च-अप्रैल में 900 करोड़ बिलिंग में 300 करोड़ का ही भुगतान हुआ। हम इन खर्चों को कहां से पूरा करेंगे।

-बीएस भाटी, एमडी, अजमेर डिस्कॉम